<u>राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुरपीठ, जयपुर</u>

<u>आदेश</u>

एकलपीठ दाण्डिक विविध जमानत प्रार्थना पत्र संख्या-7178/2006
रविन्द्र सिंह बनाम राजस्थान राज्य

दिनांक:28.11.2006

<u>माननीय न्यायाधिपति श्री जितेन्द्र राय गोयल</u>

श्री दिलीप सिंह जादौन, अधिवक्ता अभियुक्त- प्रार्थी की ओर से
श्री आर पी कुलदीप, विद्वान लोक अभियोजक वास्ते राज्य

अभियुक्त - प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत इस अग्रिम जमानत के प्रार्थना पत्र पर अभियुक्त- प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता व विद्वान लोक अभियोजक की बहस सुनी गयी तथादौरान बहस प्रस्तुत की गयी सामग्री / केस डायरी का अवलोकन किया गया।

अधिवक्ता अभियुक्त- प्रार्थी इस प्रक्रम पर इस अग्रिम जमानत के प्रार्थना पत्र पर गुणावगुण पर बल नहीं देते हैं तथा कथन करते हैं कि अभियुक्त- प्रार्थी स्वयं को सक्षम न्यायालय के समक्ष समर्पित करने के लिए तत्पर है।

ऐसी स्थिति में अभियुक्त- प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह अग्रिम जमानत का प्रार्थना पत्र इस प्रक्रम पर गुणावगुण पर बल नहीं दिये जाने के कारण खारिज किया जाता है।

अभियुक्त- प्रार्थी स्वयं को सक्षम न्यायालय के समक्ष समर्पित करने के लिए स्वतंत्र है।

यदि अभियुक्त- प्रार्थी द्वारा किसी भी कार्य दिवस को प्रात: 11 बजे से पूर्व स्वयं को समर्पित कर जमानत का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जावे तो सम्बन्धित सक्षम न्यायालय, प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र पर विधि सम्मत ढंग से विचार कर यथा सम्भव उसका उसी दिन निस्तारण कर देंवे।

(**न्या0 जितेन्द्र राय गोयल**)